**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1662

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**सम विश्वविद्यालयों के लिए मानक**

**1662. श्री रंजिब बिस्वालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सम विश्वविद्यालय के मानकों को पुनः तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मानकों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) देश में ऐसे कुल कितने विश्वविद्यालय हैं और सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रवेश मानकों को और कड़ा बनाए जाने के लिए सभी हितार्थियों से परामर्श कर लिया है/परामर्श करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा यूजीसी (सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं), विनियम, 2016 को प्रतिस्‍थापित करने हेतु, मसौदा यूजीसी (सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं) विनियम, 2018 तैयार किए हैं, तथापि, इन विनियमों को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। यूजीसी द्वारा मसौदा विनियमों को अधिसूचित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग): देश में 125 सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं कार्यात्‍मक हैं। वर्तमान में, सम विश्‍वविद्यालय दर्जा प्राप्‍त करने हेतु प्राप्‍त 5 आवेदन केंद्र सरकार/यूजीसी के पास लंबित हैं।

(घ) और (ड.): यूजीसी द्वारा सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, मसौदा यूजीसी (सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं) विनियम, 2018 तैयार किए गए हैं।

**\*\*\*\*\***